II—156
C.J.

Order Sheet [Contd]

राजकुमार / धिरेन्द्र Case No. RT 10937 of 2021

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
16/2/23	परिवादी द्वारा अधिवक्ता उप0। अभियुक्त.. अनु0। अभियुक्त को जारी गिरफतारी वांरट तामील अदम तामील वापिस अप्राप्त। परिवादी की ओर से उपस्थित अधिवक्ता के द्वारा व्यक्त किया गया कि अभियुक्त तामीली से बच रहा हैं अतः अभियुक्त के विरूद्ध स्थायी गिरफतारी वारंट जारी किये जाने का निवेदन किया गया। प्रकरण में न्यायालय के द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध गिरफतारी वारंट जारी किये गये है जिस हेतु अभियुक्त की उप. स्थिति सुनिश्चित हेतु अवसर दिये गये हैं परंतु अभियुक्त अनुप. स्थित है। प्रकरण के अवलोक न से प्रकट है प्रकरण 21 से लंबित है तथा प्रकरण में अभियुक्त की अनुपस्थिति के कारण उसके विरूद्ध गिरफतारी वारंट जारी किये जा रहे है तथा प्रकरण अभियुक्त की उपस्थिति के कारण विलंबित हो रहा है तथा प्रकरण में अभियुक्त की उपस्थिति के लिये उसके विरूद्ध विगत तिथियों से गिरफतारी वारंट जारी किये जा रहे हैं परंतु अभियुक्त की उप. स्थिति सुनिश्चित नही हो पा रही है तथा तामीली के संबंध में भी स्पष्ट जानकारी / तामीली भी प्राप्त नही हो रही है जिससे प्रतीत होता है कि अभियुक्त को प्रकरण की जानकारी होने के पश्चात् भी अभियुक्त जानबूझकर तामीली से बच रहे है। अतः परिवादी का निवेदन स्वीकार किया जाता है। अतः उपरोक्त स्थिति में न्यायालय को यह उचित प्रतीत होता है कि अभियुक्त की उप0 को सुनिश्चित करने के लिए स्थाई गिरफतारी वारंट जारी किया जाए। इस प्रकरण मे जब अभियुक्त उप0 होता है तो उसकी उप0 के पश्चात परिवादी के अधिवक्ता को म0प्र0 उच्च न्यायालय (व्यवसाय की शर्तें नियम, 2012) के नियम कमाक 7 के तहत उन्हें सूचना दी जाए तत्पश्चात प्रकरण मे आगे की कार्यवाही की जाए। अभियुक्त धिरेन्द्र.................... के विरूद्ध स्थाई गिरफतारी वांरट जारी हो तथा स्थायी गिरफतारी वारंट पर इस आशय की टीप अंकित की जाये कि अभियुक्त की धारा 138 .... तथा अपराध जमानतीय है। प्रकरण के मुख्य पृष्ठ पर लाल स्याही से यह टीप अंकित की जावे कि प्रकरण में अभियुक्त के विरूद्ध स्थायी गिरफतारी वा. रंट जारी है अतः प्रकरण अभियुक्त की उपस्थिति हेतु अभिलेखागार में सुरक्षित रखा जावे। प्रकरण का परिणाम पंजी मे दर्ज हो। प्रकरण को अभिलेखागार में अभियुक्त की उपस्थिति हेतु सुरक्षित रखे जाने हेतु भेजा जाए। (मंजूषा तेकाम) न्या. मजि. प्रथम श्रेणी भोपाल	9826737954 द्वारा परिवादी जारी